

# FORM No. III

फर्द अहकाम  
(नियम २६)

गायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) खण्डेला

शान ..... रा. ग. ल. चन्द्र ..... बनाम ..... क. जो. ड. म. ल. वगैरे.....

म मुकदमा ... ज. अ. प. न. वि. नि. म. प्र. .... मुकदमा नं. ... २०  
2018

दोख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
	<p>27<sup>06</sup>/<sub>18</sub> वकील जर्गी श्री डी. पी. सेनी ने हाजिर अदालत होकर ज. अ. प. न. वि. नि. म. प्र. पत्र किया। जर्गीना पत्र दर्ज एजिस्ट्रट किया जावे। जर्गी व अजायगी सं. 1 ता 3 की ओर से राजीनामा पेश हुआ। जर्गी की पहचान श्री डी. पी. सेनी एड. ने की तथा अजायगी सं. 1 ता 3 की पहचान श्री सुनील कुमार पारीक एड. ने की। उपस्थित पत्रकारों को राजीनामा पढ़कर सुनाया गया जिले जून व सप्टेम्बर उपस्थित पत्रकारों द्वारा लही होना स्वीकार किया गया अतः हल्केल्काहीरा पत्रकारों को राजीनामा का तहसील शामिल पत्रावली किया गया।</p> <p>वकील जर्गी ने अतिरिक्त राजीनामा अफवा में निर्णय पत्र जिले का निर्देशन किया जिस पर भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला ने कोई आपत्ति जाहीर नहीं की।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकॉर्ड व पेशाशुदा राजीनामा का अवलोकन किया गया जिले के अवलोकन से एवं लोक अदालत की शर्तों से जर्गी का जर्गीना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर स्वीकार कर</p>	<p>27/6/18</p>

आदेश दिया जाता है कि :-

निर्णय

तत ग्राम रामपुरा तहसील छण्डेला में अवस्थित कृषि भूमि ख. नं. 871 एकावा 0.72 हे. तथा ख. नं. 887 एकावा 0.62 हे. में से भूमि ख. नं. 871 एकावा 0.72 हे. से उपाधी का नाम हजफ किया जाकर उपाधी नं. 1 ता 3 को खसैदाट काशतकाट घोषित किया जाता है तथा ख. नं. 887 एकावा 0.62 हे. से उपाधीगण का नाम हजफ किया जाकर उपाधी को खसैदाट काशतकाट घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अपील दाखल हेतु तहसीलदार छण्डेला को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रबली फैलल शुमाह होकर बम्बल से कम हो तथा बाय तलमील दाखिल दफ्तार हो।